छत्तीसगढ़ शासन

समाज कल्याण विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 3–20/2020/26 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/03/2020

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
2. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़,
4. समस्त संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण, छत्तीसगढ़।

विषयः– नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के समय भिखारियों एवं अन्य निराश्रित व्यक्तियों को भोजन प्रदाय करने बाबत्।

—::00::—

भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा आगामी 03 सप्ताह के लिए राज्य में लॉक डाउन की घोषणा की गयी है। जिसके फलस्वरूप समस्त जिलों में भिखारियों एवं अन्य निराश्रित व्यक्तियों के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है। जिसके कारण उनके समक्ष भोजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह एक मानवीय पहलू होगा जिसमें ऐसे व्यक्तियों की जीवन रक्षा के लिए उन्हें भोजन प्रदान करना आवश्यक होगा।

अतः उक्त संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करें :–

1. जिले में खास तौर पर नगरीय क्षेत्रों में ऐसे निराश्रित व्यक्तियों एवं भिखारियों के क्षेत्र एवं आवश्यकता वाले व्यक्तियों को चिन्हित करें।
2. जिले में प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाएं, रेडक्रास सोसायटी, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार, गुरूद्वारा, अक्षय पात्र, मारवाड़ी समुदाय तथा अन्य समाज सेवी संगठनों से संपर्क कर निराश्रित व्यक्तियों एवं भिखारियों के लिए पका हुआ भोजन तैयार कर उसको पृथक–पृथक पैकेट तैयार कर वितरित करें।
3. जिला प्रशासन के मार्गदर्शन से भोजन को चिन्हांकित स्थान पर बांटने के लिए रूट चार्ट बनाया जाये।
4. भोजन वितरण के समय यथासंभव डोर टू डोर जाकर भोजन उपलब्ध करावाये। किसी भी हालात में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित ना हो पाये।
5. भोजन वितरण के समय आपस में एक मीटर की दूरी बनाये रखें तथा जिला प्रशासन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
6. भोजन वितरण के समय भोजन प्रदाय करने वाले व्यक्तियों को संक्रमण से रोकथाम संबंधी उपाय कराया जाना आवश्यक है।

.........2

7. भोजन वितरण के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस स्टॉफ को भी साथ में रखें। ताकि भोजन वितरण का कार्य सुचारू रूप से हो सके।
8. अगर जिले में ऐसी संस्थाएं उपलब्ध ना हो तो अंतिम विकल्प के रूप में जिले में संधारित निराश्रित निधि की राशि से भी उक्त कार्य संपादित किया जा सकता है।
9. उपरोक्त कार्यवाही लॉक डाउन जब तक रहेगा या अन्य कोई निर्देश जारी होने तक भोजन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

2/ भोजन वितरण में उपयोग में लाये गये वाहनों में यह सुनिश्चित करें कि, वाहन में भोजन वितरण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति स्वयं सेनेटाईज्ड हो तथा प्रत्येक बार हाथ–पांव को साबुन से धोये तथा एक समय में अधिक भीड़ एक जगह ना हो।

राज्य शासन द्वारा **नोवल कोरोना वायरस (COVID-19)** के संक्रमण को रोकने हेतु यथासंभव प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु यह भी आवश्यक है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भोजन से वंचित ना रहें। अतः जिला प्रशासन इस पर सम्पूर्ण रणनीति बनाकर व्यवस्था सुनिश्चित करें। कार्य की प्रगति से प्रतिदिन विभाग को जानकारी विभागीय वेबसाईट पर प्रेषित की जाये।

25/3

(आर. प्रसन्ना)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3–20/2020/26 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /03/2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. विशेष सहायक, मंत्री, समाज कल्याण, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर।
6. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
7. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रास सोसायटी, रेडक्रास भवन रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

माहात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका

——0——

1. रोजगार सहायक/सचिव, महात्मा गांधी नरेगा के तहत नियोजित श्रमिको को काम की शुरुआत तथा काम के बाद उनके हाथों को साबुन और पानी से धुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे ।
2. कार्यस्थल पर हाथ धोने के लिए साबुन/ हैंडवॉश और पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाए।
3. जागरूकता अभियान संचालित कर मजदूरो को समझाइस दी जाए कि वे घर पहुचने के बाद भी हाथ धोने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखे।
4. हाथ धुलाई की क्रियान्वयन में स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता ग्राही, SHG की महिलाओं एवं ग्राम के जागरूक नागरिको का सहयोग लिया जा सकता है।
5. श्रमिकों को मास्क के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाए। मास्क की खरीदी खादी ग्राम उद्योग, (विलासा) अथवा स्व सहायता समुहो से किया जावे। ऐसे मास्क क्रय किया जावे जिसे धुलाई पश्चात पुनः उपयोग किया जा सके।
6. प्रत्येक मजदूर के पसीना पोंछने तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए साफ सुथरा पृथक पृथक तौलिया उपलब्ध कराना चाहिए जिसका उपयोग वो स्वतः करे।
7. साबुन/ हैंडवाश की खरीदी योजना के प्राथमिक चिकित्सा मद से व्यय की जा सकती है।
8. कार्य में नियोजित श्रमिकों के यथा आवश्यक दूरी (न्यूनतम 1 मीटर) रखी जाए। कार्यस्थल पर श्रमिकों के अनौपचारिक सामुहिक गतिविधियों को टाला जाना चाहिए।
9. यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो, तो उन्हें निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए।
10. यदि कोई कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आया है, तो उन्हें तुरंत खुद को घर में अकेले रखकर चिकित्सको के सलाह अनुसार रहना चाहिए। ऐसे मजदूरो को कार्य में नियोजित नहीं करना है जिससे संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो।

23/3